[2018] 6 एस.सी.आर 972

अलख अलोक श्रीवस्तवा

बनाम

भारत संघ और अन्य

(रिट याचिका (सी) संख्या 76/2018)

मई 1,2018

[मुख्य न्यायाधीश, दीपक मिश्रा, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगण]

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो)-बच्चों की सुरक्षा और पॉक्सो अधिनियम के तहत परिकल्पित वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए, निर्देश जारी किए गए ताकि विधायी इरादे और उद्देश्य को वास्तव में जमीनी स्तर पर फलीभूत किया जा सके।(i) उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करें कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई और निपटान विशेष न्यायालयों द्वारा किया जाए और उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को बाल संरक्षण और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के मामलों में संवेदनशील बनाया जाए; (ii) विशेष न्यायालयों की साबित जाए, यदि पहले से ही नहीं की गई है, और उन्हें पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी जाए; (iii) विशेष न्यायालयों को अनावश्यक स्थगन नहीं देकर मामलों को तेजी से ट्रैक करने और पॉक्सो अधिनियम के तहत समयबद्ध तरीके से या एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर मुकदमे को पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं; (iv) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमों की प्रगति को विनियमित करने और अनुसंधान करने के लिए न्यायाधीशों की एक समिति का गठन करना चाहिए।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो)-अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण-चर्चा की गई।

डॉ. मंजुला क्रिपेंडॉर्फ बनाम राज्य (एन. सी. टी.) के माध्यम से एरा

दिल्ली) और एक अन्य 2017 (8) स्केल 112;

एम. सी. मेहता बनाम टी. एन. राज्य और अन्य (1996) 6 एस. सी. सी.

756:[1996] 9 पूरक।एससीआर 726; सुप्रीम कोर्ट महिलाएँ

लॉयर्स एसोसिएशन (एससीडब्ल्यूएलए) बनाम भारत संघ और

एक और (2016) 3 एससीसी 680:[2016] 1 एस. सी. आर. 207-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

2017 (8) स्केल 112 पैरा 12 [1996] 9 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा 19 [2016] 1 एस. सी. आर. 207 को संदर्भित एस. सी. आर. 726

पैरा 20 को संदर्भित किया गया

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 76।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

अलख आलोक श्रीवास्तव, (व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता), सुश्री गुरप्रीत कौर, केदार नाथ त्रिपाठी, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

सुश्री पिंकी आनंद, एएसजी, आर. बालासुब्रमण्यम, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, सुश्री स्निधा मेहरा, सुश्री आरती शर्मा, संतोष कुमार। विश्वकर्मा, सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, सुश्री सौदामिनी शर्मा, एम. के. मारोरिया, गुरमीत सिंह मक्कर, सिबो शंकर मिश्रा, सुश्री सुतापा सारंगी, सुश्री एस. एस. सेन, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपक मिश्रा, सीजेआई। 1.तत्काल रिट याचिका में शुरू में दो मुद्दे उठाए गए, पहला, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षिप्तता के लिए, 'पॉक्सो अधिनियम') के तहत किए गए अपराध की शिकार हुई आठ महीने की बच्ची के साथ व्यवहार और दूसरा, बाल अनुकूल अदालत में पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमों की त्वरित सुनवाई और निगरानी, जो उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के अक्षर और भावना के अनुरूप है।

2. पहली प्रार्थना 31 जनवरी, 2018,1 फरवरी, 2018 और 12 मार्च, 2018 के आदेशों के माध्यम से की गई थी।यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों की एक टीम को कलावती सरन बाल अस्पताल में रोगी से मिलने के लिए भेजा गया था।इसके अलावा, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों को डॉक्टरों की टीम के साथ जाने का निर्देश जारी किया गया था।

3. दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी के साथ डॉक्टरों की एक टीम ने पीड़ित की जांच की और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।रिपोर्ट का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः-

"जाँच में पता चला कि 8 महीने की मादा शिशु सतर्क और सक्रिय है, जो एक अन्य लड़की के साथ बिस्तर साझा कर रही है।वह सामान्य महत्वपूर्ण संकेतों (एचआर 120/मिनट, श्वसन दर 32/मिनट, कोई परेशानी नहीं, कमरे की हवा में संतृप्ति 98

प्रतिशत, तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस) के साथ स्तनपान करा रही थी।उनका वजन 5.6 किलोग्राम था और शारीरिक बनावट सामान्य लगती है।प्रणालीगत जाँचमे कोनो असामान्यता नहि देखल गेल।संचालित पेरिनियल सामान्य लग रहा था और कोलोस्टॉमी स्वस्थ थी।कुल मिलाकर बच्चा स्थिर दिखता है और सर्जरी के बाद ठीक हो रहा है।शल्य चिकित्सा घाव के लिए नियमित रूप से एसेप्टिक ड्रेसिंग की आवश्यकता होगी और आगे का प्रबंधन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।समग्र देखभाल प्रदान करने के लिए, टीम ने महसूस किया कि बच्चे को मनोचिकित्सा (माता-पिता की परामर्श के लिए) के समर्थन से बाल चिकित्सा शल्य चिकित्सा, बाल चिकित्सा और प्रसूति विभाग की देखभाल के तहत एम्स में स्थानांतरित किया जा सकता है।टीम ने परिवार (पिता और माता) से बात की और एम्स टीम द्वारा देखभाल के तहत बच्चे के स्थानांतरण के लिए सहमति ली, जिस पर वे सहमत हुए लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित और चिंतित थे।पिता की सलाह ली गई और उन्हें सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करने का आश्वासन दिया गया।एक वर्ष से कम आयु के होने के कारण भारत सरकार की जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत एम्स में सभी चिकित्सा खर्चों को छूट दी जाएगी।"

4. दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जिसमें उल्लेख किया गया है कि बच्चे को बेहतर इलाज के लिए एम्स में स्थानांतरित कर दिया गया था।इसके अलावा, सदस्य सचिव ने इस प्रकार कहाः-

"कि, तत्काल मामले में संबंधित डी. एल. एस. ए. से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि एल. डी. अदालत द्वारा दिनांकित 30.01.2018 आदेश के माध्यम से। रोहिणी न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना, 2015 के अनुसार Rs.75,000/- का अंतरिम मुआवजा दिया गया है।आवश्यक औपचारिकताओं अर्थात बैंक खाते आदि के पूरा होने के बाद उक्त अंतरिम मुआवजे की राशि तुरंत आर. टी. जी. एस. के माध्यम से वितरित की जाएगी।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. एल. एस. ए. सचिव, उत्तर-पश्चिम ने भी कलावती सरन अस्पताल का दौरा किया है और 31.01.2018 की सुबह बच्चे के माता-पिता से मुलाकात की और उन्हें उनके ए.

दिल्ली गवाह संरक्षण योजना, 2015, दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना, 2015 आदि के तहत कानूनी अधिकार। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि मामले में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए डीएलएसए के कानूनी सेवा अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है।"

5. आई. डी. 1 पर, जब मामला सूचीबद्ध किया गया था, यह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सुश्री पिंकी आनंद द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि पीड़ित बच्चे को एम्स से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन उसे एक और सर्जरी से गुजरना था जो 17 अप्रैल, 2018 के लिए तय की गई थी।

6. जहाँ तक तत्काल मामले में बच्चे का संबंध है, हमें सूचित किया गया है कि उसकी दूसरी सर्जरी हुई है और वह वर्तमान में स्थिर है।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री पिंकी आनंद प्रस्तुत करेंगी कि यदि किसी चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है और उसे उनके संज्ञान में लाया जाता है, तो बच्चे को उचित देखभाल प्रदान की जाएगी।

7. दूसरे पहलू के संबंध में, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित याचिकाकर्ता द्वारा यह आग्रह किया गया था कि जहां तक पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों का संबंध है, ऐसे मामलों का शीघ्र निपटान किया जाना चाहिए और बाद की तारीख में, ऐसे मामलों के त्वरित निपटान की निगरानी के संबंध में उच्च न्यायालयों से जानकारी मांगी गई थी।8. जब आज मामला उठाया गया तो याचिकाकर्ता ने विभिन्न राज्यों में पॉक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों की संख्या बताते हुए एक चार्ट दायर किया और निर्देश जारी करने के लिए इस अदालत के हस्तक्षेप की मांग की ताकि निचली अदालतों द्वारा उक्त कानून के संबंध में संवेदनशीलता दिखाई जा सके और आगे, पॉक्सो अधिनियम में प्रतिपादित त्वरित सुनवाई होनी चाहिए।

9. हमने याचिकाकर्ता श्री अलख आलोक श्रीवास्तव को सुना है, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए हैं और सुश्री पिंकी आनंद, प्रत्यर्थी-भारत संघ की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर हैं।

10. पॉक्सो अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत मौलिक अवधारणा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 39 (एफ) जो यह भी प्रदान करता है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बचपन और युवाओं को शोषण से और नैतिक और भौतिक परित्याग से संरक्षित किया जाए। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण बाल शोषण को कम करने और बच्चों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।

यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी आदि के अपराधों से बच्चे। पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया हैः-

"3. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा एकत्र की गई तारीख से पता चलता है कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में वृद्धि हुई है।बाल शोषण पर अध्ययन से इसकी पुष्टि होती हैःमहिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 'इंडिया 2007'।इसके अलावा, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को मौजूदा कानूनों द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है।इस तरह के अपराधों की एक बड़ी संख्या के लिए न तो विशेष रूप से प्रावधान किया गया है और न ही उन्हें पर्याप्त रूप से दंडित किया गया है।पीड़ित और गवाह दोनों के रूप में बच्चे के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है।यह महसूस किया जाता है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और एक प्रभावी निवारण के रूप में अनुरूप दंड के माध्यम से उनका मुकाबला करने की आवश्यकता है। 4. इसलिए, न्यायिक प्रक्रिया के हर चरण में बच्चे के हित और कल्याण की रक्षा के लिए उचित सम्मान के साथ यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक स्व-निहित व्यापक कानून बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें रिपोर्ट करने, साक्ष्य दर्ज करने, अपराधों की अनुसंधान और मुकदमे के लिए बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाएं शामिल हैं और ऐसे अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान है।"

11. इस संदर्भ में, पॉक्सो अधिनियम की लंबी प्रस्तावना को पुनः प्रस्तुत करना उचित है। यह इस प्रकार हैः-

बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बचाने के लिए एक अधिनियम और ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए और उनसे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान है।

जबकि संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड (3), अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है; और जबकि, भारत सरकार ने 11 दिसंबर, 1992 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाए गए बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को स्वीकार कर लिया है, जिसमें बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य दलों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों का एक सेट निर्धारित किया गया है;

और जबकि बच्चे के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी गोपनीयता और गोपनीयता के अधिकार की रक्षा और सम्मान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा हर तरह से और बच्चे से जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया के सभी चरणों के माध्यम से किया जाए;

और जबकि यह आवश्यक है कि कानून इस तरह से काम करे कि बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण को सर्वोपरि महत्व दिया जाए; और जबकि बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के राज्य पक्षों को रोकने के लिए सभी उपयुक्त राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय करने की आवश्यकता है -

(ए) किसी बच्चे को किसी गैरकानूनी यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए उकसाना या जबरदस्ती करना;

(ख) वेश्यावृत्ति या अन्य गैरकानूनी यौन प्रथाओं में बच्चों का शोषणकारी उपयोग;

(ग) अश्लील प्रदर्शनों और सामग्रियों में बच्चों का शोषणकारी उपयोग;

और जबकि बच्चों का यौन शोषण और यौन शोषण जघन्य अपराध हैं और इन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता है।"

12. डॉ. मंजुला क्रिपेंडॉर्फ बनाम राज्य (एन. सी. टी.) के माध्यम से एरा में दिल्ली के) और हम में से एक अन्य (दीपक मिश्रा, जे) ने उद्देश्यों और कारणों के कथन और पॉक्सो अधिनियम की प्रस्तावना के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहाः-

20. वर्तमान प्रकृति का कानून लाने का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न, उत्पीड़न और शोषण से बचाना और बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करना है।प्रस्तावना के एक उत्साही और मेहनती विवेक पर, यह स्पष्ट है कि यह एक बच्चे की गोपनीयता और गोपनीयता के अधिकार की आवश्यकता को हर व्यक्ति द्वारा हर तरह से और बच्चे को शामिल करने वाली न्यायिक प्रक्रिया के सभी चरणों के माध्यम से संरक्षित और सम्मानित करने की आवश्यकता को मान्यता देता है।बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर सर्वोत्तम हित और कल्याण को सर्वोपरि माना जाता है।एक शर्त यह भी है कि यौन शोषण और यौन शोषण जघन्य अपराध हैं और इन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता है। उद्देश्यों और कारणों का विवरण संवैधानिक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति को निर्देशित करने के लिए प्रदान करता है कि बच्चों की कम उम्र का

दुरुपयोग न हो और उनके बचपन को शोषण से बचाया जाए और उन्हें स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकास करने के लिए सुविधाएं दी जाएं।एक उल्लेख भी है जो काफी महत्वपूर्ण है कि पीड़ित और गवाह दोनों के रूप में बच्चे के हित की रक्षा करने की आवश्यकता है।बच्चों के अनुकूल प्रक्रिया प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है।कानून की योजना में बच्चे की गरिमा पर बहुत जोर दिया गया है।पॉक्सो अधिनियम के पाठ में संरक्षण और हित का महत्वपूर्ण स्थान है।

13. शुरुआत में, यह प्राधिकरण के साथ कहा जाना चाहिए कि पॉक्सो अधिनियम एक लिंग तटस्थ कानून है।इस अधिनियम को विभिन्न अध्यायों और भागों में विभाजित किया गया है।"बच्चों के खिलाफ यौन अपराध" शीर्षक वाले अधिनियम के अध्याय II को पांच भागों में विभाजित किया गया है।उक्त अध्याय के भाग ए में दो धाराएँ हैं, अर्थात् धारा 3 और धारा 4।धारा 3 "भेदक यौन हमले" के अपराध को परिभाषित करती है जबकि धारा 4 उक्त अपराध के लिए सजा निर्धारित करती है।इसी तरह, उक्त अध्याय के भाग बी, जिसका शीर्षक "उग्र भेदक यौन हमला और उसके लिए सजा" है, में दो खंड हैं, अर्थात् धारा 5 और धारा 6।धारा 5 की विभिन्न उप-धाराएँ विभिन्न स्थितियों, परिस्थितियों और व्यक्तियों की श्रेणियों से प्रचुर रूप से निपटती हैं जहाँ भेदक यौन हमले का अपराध गंभीर भेदक यौन हमले के अपराध की प्रकृति को ले लेगा।धारा 5 (के), विशेष रूप से, एक बच्चे की मानसिक स्थिरता पर जोर देते हुए यह निर्धारित करती है कि जहां कोई अपराधी बच्चे की मानसिक या शारीरिक अक्षमता का लाभ उठाकर उस पर भेदक यौन हमला करता है, तो यह गंभीर भेदक यौन हमले के अपराध के बराबर होगा।

14. इसके अलावा, धारा 28, जो "विशेष न्यायालय" शीर्षक वाले अध्याय VII में आती है, प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय के रूप में सत्र न्यायालय के पदनाम की अपेक्षा करती है, विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों का मुकदमा चलाने के लिए, ताकि त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जा सके जो अधिनियम के मौलिक उद्देश्यों में से एक है। इसके अलावा, धारा 32 में कहा गया है कि राज्य सरकार केवल पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों के संचालन के लिए प्रत्येक विशेष अदालत के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, जिसे धारा 28 के तहत नामित किया गया है। 15.अधिनियम का अध्याय VIII इन विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों और बाल पीड़ित के साक्ष्य को दर्ज करने की प्रक्रिया से संबंधित है।अध्याय VIII के तहत आने वाली धारा 33 में विभिन्न ए का प्रावधान है। परीक्षण चरण में सुरक्षा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे के विभिन्न प्रकार के हितों की रक्षा की जाए।हम धारा 33 के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैंः-

"33. विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ-(1) एक विशेष न्यायालय किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है, जिसमें अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया गया है, ऐसे तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर जो ऐसे अपराध का गठन करते हैं, या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर।(2) विशेष लोक अभियोजक, या जैसा भी मामला हो, अभियुक्त की ओर से पेश होने वाला अधिवक्ता, बच्चे की मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुनःपरीक्षा दर्ज करते समय, बच्चे को रखे जाने वाले प्रश्नों को विशेष न्यायालय को बताएगा जो बदले में उन प्रश्नों को बच्चे को बताएगा।

(3) विशेष न्यायालय, यदि वह आवश्यक समझता है, तो मुकदमे के दौरान बच्चे के लिए बार-बार अवकाश की अनुमति दे सकता है।

(4) विशेष न्यायालय परिवार के किसी सदस्य, अभिभावक, मित्र या रिश्तेदार, जिन पर बच्चे को विश्वास या विश्वास है, को अदालत में उपस्थित होने की अनुमति देकर बच्चों के अनुकूल वातावरण बनाएगा।(5) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे को अदालत में गवाही देने के लिए बार-बार नहीं बुलाया जाए।

(6) विशेष न्यायालय बच्चे से आक्रामक पूछताछ या चरित्र हनन की अनुमति नहीं देता है और यह सुनिश्चित करता है कि मुकदमे के दौरान हर समय बच्चे की गरिमा बनी रहे।

(7) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसंधान या मुकदमे के दौरान किसी भी समय बच्चे की पहचान का खुलासा न किया जाएः

बशर्ते कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, विशेष न्यायालय इस तरह के प्रकटीकरण की अनुमति दे सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण बच्चे के हित में है।

स्पष्टीकरण।- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, बच्चे की पहचान में बच्चे के परिवार, स्कूल, रिश्तेदारों, पड़ोस या कोई अन्य जानकारी शामिल होगी जिसके द्वारा बच्चे की पहचान प्रकट की जा सकती है।"

16. धारा 35 में बच्चे के साक्ष्य को दर्ज करने और मामलों के निपटारे का प्रावधान है। वर्तमान उद्देश्य के लिए भी यही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे यहाँ उद्धृत किया गया हैः-

"35. बच्चे के साक्ष्य को दर्ज करने और मामले के निपटारे की अवधि।- (1) अपराध का संज्ञान लेते हुए विशेष न्यायालय के तीस दिनों की अवधि के भीतर बच्चे का साक्ष्य दर्ज किया जाएगा और देरी के कारण, यदि कोई हों, विशेष न्यायालय द्वारा दर्ज किए जाएंगे।

(2) विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, जहां तक संभव हो, मुकदमा पूरा करेगा।"

17. उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि विधायिका ने राज्य को कई स्तरों पर विभिन्न कदम उठाने का आदेश दिया है ताकि बच्चे की रक्षा की जा सके और मुकदमा उचित रूप से चलाया जा सके।18. धारा 37 में प्रावधान है कि विशेष न्यायालय कैमरे में और बच्चे के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में मामलों की सुनवाई करेगा जिसमें बच्चे को विश्वास या विश्वास है; धारा 36 विशेष न्यायालय पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालती है कि साक्ष्य दर्ज करते समय बच्चा किसी भी तरह से आरोपी के सामने न आए और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी बच्चे का बयान सुनने और अपने वकील के साथ संवाद करने की स्थिति में है।पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चे को कई पहलुओं से बचाना है ताकि वह असुविधा या भय की भावना महसूस न करे या उसे भयभीत अनुभव की याद दिलाए और आगे बच्चों के अनुकूल वातावरण होना चाहिए।19. बच्चे के बारे में बात करते हुए, एम. सी. मेहता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ

v. टी. एन. राज्य और अन्य 2 ने राय दी किः-

"". बच्चा मनुष्य का पिता है। "एक बहादुर और जीवंत व्यक्ति के पिता बनने के लिए, बच्चे को उसके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए।उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, मनुष्य और सामग्री के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ऐसे

वातावरण में खिलना चाहिए कि उम्र बढ़ने पर वह एक मिशन वाला व्यक्ति पाया जाए, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है।"

20. उच्चतम न्यायालय महिला अधिवक्ता संघ (एस. सी. डब्ल्यू. एल. ए.) बनाम भारत संघ और अन्य 3 मामलों में इस न्यायालय ने कहा हैः-

उन्होंने कहा, "इस मामले में, हम एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार से चिंतित हैं।जैसा कि हमारे सामने आग्रह किया गया है कि इस तरह के अपराध अथाह कारणों से बड़े पैमाने पर होते हैं और यह दायित्व है कानून और कानून निर्माताओं को बच्चों और विशेष रूप से लड़कियों के लिए सम्मान पैदा करना चाहिए जिनके साथ ऐसी बर्बरता और बर्बरता का व्यवहार किया जाता है जैसा कि पहले संकेत दिया गया था।याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भयावह और घृणित स्थिति प्राप्त करने पर जोर दिया है।"

स्विस मनोवैज्ञानिक एलिस मिलर ने बाल शोषण के बारे में बात की है

उन्होंने कहाः-

"बाल शोषण एक व्यक्ति को जीवन भर के लिए नुकसान पहुंचाता है और यह नुकसान किसी भी तरह से अपराधी की अज्ञानता से कम नहीं होता है।यह केवल पूर्ण सत्य को उजागर करने के साथ है क्योंकि यह शामिल सभी लोगों को प्रभावित करता है कि बाल शोषण के खतरों का वास्तव में व्यवहार्य समाधान पाया जा सकता है।"

21. बच्चों की सुरक्षा और पॉक्सो अधिनियम के तहत परिकल्पित वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए, कुछ निर्देश जारी करना आवश्यक है ताकि विधायी इरादे और उद्देश्य को वास्तव में जमीनी स्तर पर फलीभूत किया जा सके और कानून के बीच की खाई को पाटना संभव हो जाए जो केवल सामाजिक परिवर्तन का चर्मपत्र या खाका है और इसके अभ्यास या कार्यान्वयन को सही मायने और भावना में प्राप्त किया जाता है।

22. श्री श्रीवास्तव ने हमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में पॉक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों से संबंधित एक चार्ट प्रदान किया है, जिसके संबंध में डेटा उपलब्ध नहीं है।हम दो राज्यों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले सकते हैं।उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे मामलों की संख्या लगभग 30884 और मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 10117 है।

23. श्री श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि दोनों राज्यों में मामले साक्ष्य स्तर पर एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।हम इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि अधिनियम की धारा 35 (2) "जहां तक संभव हो" कहती है।अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैंः-

(i) उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई और निपटान विशेष न्यायालयों द्वारा किया जाए और उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी बाल संरक्षण और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के मामलों में संवेदनशील हों।

(ii) विशेष न्यायालयों की साबित, जैसा कि कल्पना की गई है, यदि पहले से नहीं की गई है, और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

(iii) विशेष न्यायालयों को अनावश्यक स्थगन नहीं देकर और पॉक्सो अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके मामलों को तेजी से निपटाने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए और इस प्रकार मुकदमे को समयबद्ध तरीके से या अधिनियम के तहत एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

(iv) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमों की प्रगति को विनियमित करने और निगरानी करने के लिए तीन न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने का अनुरोध किया जाता है। जिन उच्च न्यायालयों में तीन न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं, वहां उक्त न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एक न्यायाधीश समिति का गठन करेंगे।

(v) पुलिस महानिदेशक या राज्यों के समकक्ष रैंक का अधिकारी एक विशेष कार्य बल का गठन करेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसंधान ठीक से की जाए और गवाहों को निचली अदालतों के समक्ष निर्धारित तिथियों पर पेश किया जाए।(vi) पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विशेष न्यायालयों में बच्चों के अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे ताकि अधिनियम की भावना का पालन किया जा सके।

24. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश को उच्च न्यायालयों के महापंजीयक को बताए ताकि इसे तुरंत लागू किया जा सके।उपरोक्त निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

लिखित याचिका का निपटारा किया गया।